यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून के माह 04/2014 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 05/08/2017 से 11/08/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र संह एवं श्री पी.के. मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 20/03/2014 से 26/03/2014 तक श्रई आर. एस. नेगी- II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः गढ़वाल मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत नि र्मत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतुओं के पुर्ननिर्माण एवं सुधार तथा चौड़ीकरण कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	99,55,519.00	8001370.00	-	-	-	1954149
2015-16	-	-	91,35,796.00	78,22,784.00	-	-	-	1313012
2016-17	-	-	1,08,61,247.00	1,01,05,055.00	-	-	-	756192
2017-18 (7/17तक)			1,27,40,093.00	52,85,983.00				754110

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां रा.मा. वृत्त, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा. खण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2014 एवं 04/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....N/A.....का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन..... ..... . के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग - दो 'ब'

प्रस्तर -1 प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति का उलंघन व `227.17 लाख के व्यय के उपरांत भी निर्माण कार्यो पर समय पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 123 (नया नंबर 507) के कमी० 46 में 40 मीटर स्पान पी0एस0सी0 बॉक्स गर्डर सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति एन० एच० -12014/07/ 2009-यू0 आर० -एनएच -11 दिनांक 02/03/2009 (जॉब संख्या 123-यू० आर०-2009-192) द्वारा कुल 40 मी. स्पान पी0एस0सी0 बॉक्स गर्डर सेतु के निर्माण हेतु लागत `346.69 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृति के अनुसार:

- Para 9: the work shall be executed as per the Ministry's Specifications for Road and Bridge works, 4th Revision, 2001 and the instructions issued by the Ministry from time to time. Deviation in specification for any item should be got approved from the Ministry before adopting the same.
- Para 10: No work or change in specification should be undertaken without prior written approval of the Ministry.

कार्यालय मे उपलब्ध अ भलेखो व पत्रावली के अनुसार अधीक्षण अ भयन्ता, 10वा राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति से पूर्व ही नि वदा आमंत्रित (फरवरी 2009) की थी तथा प्राप्त एक नि वदा पर ही मेसर्स दून एसो शयटेस के साथ कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या 07/SE-एनएच/2009-10 लागत `300.44 लाख का गठित कया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 31//2009 से प्रारम्भ व सेतु निर्माण कार्य 30//2010 तक पूर्ण कया जाना था। जब क उपरोक्त व र्णत कार्य आति थ तक अपूर्ण है। अ भलेखो व पत्रावली के अनुसार अनुबन्ध को 5/2015 मे निरस्त कए जाने से पूर्व ठेकेदार द्वारा केवल सब सुपरस्टेक्चर मे एबटमेंट स्तर तक का निर्माण कार्य जो 12/2013 तक कया गया था जिस पर `191.89 लाख ( `176.04 लाख ठेकेदार को + `15.85 लाख एजेन्सी चार्ज) का व्यय/भुगतान ठेकेदार को कया गया था। अधीक्षण अ भयन्ता, 10वा वृत्त, राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के अ भलेखो व पत्रावली मे आगे यह भी पाया गया क बिना भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कए ही नि र्मत एबटमेंट पर अ धशासी अ भयन्ता द्वारा कोटेशन (10/8/2016 से) के द्वारा बैली ब्रिज का निर्माण कया गया, जिस पर आति थ तक अनुबं धत धनरा श `44.27 लाख के सापेक्ष `35.28 लाख का रोड कटिंग चार्ज से व्यय वर्तन करते हुवे कया जा चुका है जो क वत्तीय नियम अनुसार नहीं/उलंघन है। इस के अतिरिक्त इस बैली ब्रिज का उपयोग पूर्ण निर्माण होने के उपरांत भी आति थ तक नहीं कया गया है।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा पुष्टि करते हुवे अवगत कराया क बैली ब्रिज का लोड टेस्टिंग नहीं होने के कारण यातायात हेतु अभी तक उपयोग नहीं कया जा रहा है इस हेतु पत्र लखा गया है। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यो क राष्ट्रीय मार्ग संख्या 123 (नया नंबर 507) उत्तराखंड के चार प्र सद्ध धामो मे से प वत्र यमुनोत्री धाम की

यात्रा हेतु मुख्य मार्ग है जिस पर यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष माह अप्रैल से नवम्बर तक देश वदेश से पर्यटक तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम की यात्रा मे आते है तथा यह मार्ग रवाई जौनपुर , जौनपुर आदि क्षेत्रो को जिला मुख्यालय उत्तरकाशी देहारादून को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है । राष्ट्रीय मार्ग संख्या 123 (नया नंबर 507) के क0मी046 (8-10) मे अगलाड नदी पर संगल लेन स्टील गर्डर ब्रिज है जिसकी वर्तमान स्थिति अत्यंत जर्जर है तथा प बैली ब्रिज को आति थ तक यातायात हेतु चालू नहीं कया जा सका है जिससे वांछित उद्देश्यो की पूर्ति न होने के साथ-साथ वभागीय दृष्टिकोण से दुर्घटना होने का भी खतरा बना हुआ है।

अत: निर्माण कार्यो पर समय पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना, उपरोक्त प्रस्तर 9 व 10 के उलंघन, `35.28 लाख व्यय वर्तन कया जाना व `227.17 लाख के व्यय के उपरांत भी बैली ब्रिज का उपयोग आति थ (अगस्त 2017) तक नहीं कया जाना यह दर्शाता है प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति के उलंघन के बाद भी इस कार्य को सही महत्व नही दिया गया है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2: पर्याप्त धनरा श उपलब्ध होने के उपरांत भी अवशेष कार्य पूर्ण न कया जाना व क्षतिपूर्ति क धनरा श `**30.60** लाख की वसूली ठेकेदार से न कया जाना।

राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 94 (नया नंबर 134) के क०मी० 158 में 176 एवं 188 से 211 मे पी० आर० के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश एन०एच०-13012/20/ 2010-यू0 आर० -एनएच -11 दिनांक 23/02/2011 द्वारा राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 94 (नया नंबर 134) के कमी० 158 में 176 एवं 188 से 211 मे पी० आर० का निर्माण कार्य हेतु कुल लागत `375.96 लाख की प्राप्त हुई हैं। कार्य को मेसर्स अमृत डवलपर्स प्राइवेट ल मटेड से अनुबन्ध संख्या 24/SE-एनएच/10-11 दिनांक 8/3/2011 लागत `312.36 लाख के द्वारा कराया गया। कार्य 8/3/2011 को प्रारम्भ कर 7//2011 को पूर्ण कया जाना था।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 10वा राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल ` 216.16 लाख का व्यय कया गया (अनुबन्ध को निरस्त कया गया 02//2014) जिसमे ` 30.60 लाख की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली नहीं गयी है और न ही उक्त वसूली हेतु कार्यालय द्वारा 10/2014 के उपरान्त कोई कार्यवाही सुनिश्चिति की है। अत: खण्ड द्वारा ` 30.60 लाख की क्षतिपूर्ति धनरा श ऋणात्मक मद मे वसूले जाने हेतु रखा है। कार्यालय के अ भलेखो की जांच मे आगे पाया गया क अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे छोड़े जाने के पश्चात निम्न ता लका मे अवशेष कार्य कए जाने थे ले कन कार्यालय के अ भलेखो मे पाया गया क अवशेष कार्यो पर कोई काम नहीं कया गया इस का आधार 'वर्तमान मे स्वीकृत लागत मे (2010-11 के दरो के अनुसार कुल लागत `106.28 लाख) कार्य पूर्ण कया जाना सम्भव नहीं है' को बनाया गया था। जब क इन अवशेष कार्यो को पूर्ण कए जाने हेतु पर्याप्त धनरा श उपलब्ध थी (ता लका के अनुसार):

आइटम	अवशेष कार्य	2016-17 के दर अनुसार		उपलब्द धनरा श
जी० 3	976.78 cum	2840.20	` 27.74 लाख	आगणन की धनरा श: `375.96लाख
प्रयम कोट	22400 sqm	26.50	` 5.94 लाख	कार्य पर कुल व्यय: `216.16 लाख
पी0सी0	48368.94 sqm	221.60	` 107.18 लाख	एजन्सि चार्ज : `19.45 लाख
टेक कौट	33922.30 sqm	11.40	` 03.87 लाख	अवशेष : `140.35 लाख
थ्मोप्लेस्टिक	615 sqm	633.50	` 03.90 लाख	क्षतिपूर्ति धनरा श: **`30.60** लाख
Total			` 148.63 लाख	
एजन्सि चार्ज @9% :			`13.38 लाख	
अवशेष कार्यो पर व्यय			`162.01 लाख	कुल उपलब्द धनरा श: **`170.95** लाख

लेखा परीक्षा द्वारा 2016-17 के दरो के अनुसार उपरोक्त अवशेष कार्य के गणना करने के उपरान्त भी यह पाया गया क इन कार्यो को पूर्ण नए अनुबन्ध गठित कर कया जा सकता था

परन्तु इस और कोई कार्यवाही सुनिश्चिति नहीं की गई। जिससे मार्ग का कार्य न केवल अपूर्ण रहा बल्कि इस मार्ग कार्य पर 3 साल के defect liabilities period का दायित्व जो ठेकेदार वहन करता, से वभाग वं चत रहा । अत: निर्माण कार्यो पर समय पर वछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है इस कार्य को सही महत्व नही दिया

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क क्षतिपूर्ति क धनरा श `30.60 लाख की वसूली ठेकेदार के अन्य अनुबंध 17/SE-NH Dt 26/07/2008 के अ ग्रम देयक से कर दी गयी है तथा आगे यह भी अवगत कराया गया क अनुबन्ध वर्ष 2011 को गठित कया गया था तथा अंति मकरण वर्ष 2014 मे कया गया था, इस अव ध मे दरो मे वृद् ध के कारण अवशेष धनरा श मे कार्य पूर्ण कया जाना संभव नहीं था तथा मार्ग के क0मी0 158 से 176 तक सुदृढीकरण का कार्य वा र्षक योजना वर्ष 2015-16 के अंतर्गत अनुबन्ध संख्या 01/SE NH Dt 01/04/2016 एवं क0मी0 188 से 211 तक सुदृढीकरण का कार्य वा र्षक योजना 2014 -15 के अंतर्गत कुल ` 2246.92 लाख (` 1112.14 लाख + ` 1134.78 लाख) का अनुबन्ध गठित कर पूर्ण कए जा चुके है वर्तमान मे मार्ग की सतह संतोषजनक है। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यो क क्षतिपूर्ति धनरा श ` 30.60 लाख की वसूली के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कए गए तथा इकाई को उक्त सुदृढीकरण का कार्य समय से पूर्व ही फर से करना पड़ा एवं मार्ग कार्य पर 3 साल के defect liabilities period का दायित्व जो ठेकेदार वहन करता से भी वं चत रहना पड़ा ।

अत: पर्याप्त धनरा श उपलब्ध होने के उपरांत भी अवशेष कार्य पूर्ण न कया जाना व क्षतिपूर्ति क धनरा श ` 30.60 लाख की वसूली ठेकेदार से न कया जाना का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
79/2013-14	-	1	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
79/2013-14	1	मुख्य अ भयन्ता स्तर-2, रा.मा. एवं सेतु लो.नि. व. देहरादून के द्वारा भेजा गया पत्र संख्याः 3138/ लेखा-रा.मा. (उ.)/2014 दिनांक 11/09/2014	प्रस्तर का उत्तरालेख मुख्य अ भयन्ता स्तर-2, रा.मा. एवं सेतु लो.नि. व. देहरादून के पत्रांक 3138/ लेखा-रा.मा. (उ.)/2014 दिनांक 11/09/2014 द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रे षत कया गया था संबं धत कार्य वर्तमान में भी अपूर्ण है। अतः प्रस्तर निस्तारित नहीं कया जा सकता।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री आर.सी. अग्रवाल,	अधीक्षण अ भयन्ता	30/12/2013 से 06/02/2016 तक
(ii)	श्री प्रमोद कुमार,	अधीक्षण अ भयन्ता	06/02/2016 से 6/06/2016 तक
(iii)	श्री राजेश चन्द्र शर्मा	अधीक्षण अ भयन्ता	16/06/2016 से अब तक।

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

-लागू नहीं-

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयन्ता, 10 वां राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि. व., देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II